दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्-द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई.डी. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन :

दि.मु.यो.–2021 में प्रावधान

तालिका 6.2 : विकास नियंत्रण–थोक व्यापार

विद्यमान प्रावधान							प्रस्तावित संशोधन/आशोधन						
उपयोग/ उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज %	अधिकतम एफ.ए.आर.	अधिकतम ऊँचाई (मी.)	पार्किंग स्टैंडर्ड ई.सी.एस./तल क्षेत्रफल का 100 वर्गमी.	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप	उपयोग/ उपयोग परिसर	अधिकतम ग्राउंड कवरेज %	अधिकतम एफ.ए.आर.	अधिकतम ऊँचाई (मी.)	पार्किंग स्टैंडर्ड ई.सी.एस./तल क्षेत्रफल का 100 वर्गमी.	परिभाषा	अनुमत कार्यकलाप
एकीकृत भाड़ा परिसर/ थोक बाजार	30	80	(i) की शर्त के आधार पर कोई पाबंदी नहीं।	3	थोक बाजार। एक परिसर जहां से माल और वस्तुएं बेची जाती हैं और खुदरा विक्रेता को सौंपी जाती हैं। परिसरों में स्टोरेज और गोदाम, लादने और उतारने की सुविधाएं सम्मिलित हैं।	थोक विक्रय दुकान, गोदाम और स्टोरेज, व्यावसायिक कार्यालय (कुल तल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत प्रतिबंधित है), रैनबसेरा।	एकीकृत भाड़ा परिसर/ थोक बाजार/ ***भांडागार योजनाएं***	**40**	**100**	(i) की शर्त के आधार पर कोई पाबंदी नहीं।	3	थोक बाजार। एक परिसर जहां से माल और वस्तुएं बेची जाती हैं और खुदरा विक्रेता को सौंपी जाती हैं। परिसरों में स्टोरेज और गोदाम/ ***भांडागार,*** लादने और उतारने की सुविधाएं सम्मिलित हैं।	थोक विक्रय दुकान, गोदाम और स्टोरेज, व्यावसायिक कार्यालय (कुल तल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत प्रतिबंधित है), रैनबसेरा, ***भांडागार एवं उससे संबंधित सुविधाएं।***

टिप्पणी :

i) ऊँचाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्निशमन और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमति मिलने की शर्त पर।

ii) 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के मामले में सामान्य (कॉमन) पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

iii) 300 वर्ग मीटर और उससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में, ई.एस.एस. भूमिगत जल संचयन टैंक, ऊपरी छत पर जल एकत्र करने की व्यवस्था, अलग से शुष्क और नम डस्टबिन, सौर ऊर्जा/ रोशनी प्रणाली आदि की व्यवस्था प्लॉट में की जाए।

iv) किसी व्यापक/एकीकृत विकास योजना का भाग न होने वाले व्यक्तिगत प्लॉटों के मामले में विकास नियंत्रण पहले ही अनुमोदित योजना/ले-आउट प्लान के अनुसार होंगे।

टिप्पणी :

i) ऊँचाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अग्निशमन और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमति मिलने की शर्त पर।

ii) 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के मामले में सामान्य (कॉमन) पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

iii) 300 वर्ग मीटर और उससे अधिक आकार के प्लॉटों के मामले में, ई.एस.एस. भूमिगत जल संचयन टैंक, ऊपरी छत पर जल एकत्र करने की व्यवस्था, अलग से शुष्क और नम डस्टबिन, सौर ऊर्जा/रोशनी प्रणाली आदि की व्यवस्था प्लॉट में की जाए।

iv) किसी व्यापक/एकीकृत विकास योजना का भाग न होने वाले व्यक्तिगत प्लॉटों के मामले में विकास नियंत्रण पहले ही अनुमोदित योजना/ले-आउट प्लान के अनुसार होंगे।

v) "गोदाम" एक ऐसा क्षेत्र है, जहां लंबी अवधि के लिए सामग्री को बड़ी मात्रा में रखा जाता है और वस्तुओं के आसान वितरण के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक उद्यमों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तुओं के स्वामियों की बहुलता हो सकती है।

vi) "भंडारण" स्वयं के उपयोग हेतु वस्तुओं के भंडारण का क्षेत्र है।

vii) "भांडागार" ऐसा क्षेत्र है, जहां वस्तुओं के भंडारण और खुदरा विक्रेताओं को इसके विक्रय के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें वस्तुओं के स्वामियों की बहुलता हो सकती है।

viii) अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभार के अनुसार देय होगा।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित **लिंक अर्थात https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx** पर भी उपलब्ध है।

हस्ता/–
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

एफ.3(84)2010-एम.पी.
दिनांक : 06.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

डीडीए की वेबसाइट : www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें